भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3390

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बढ़ती सिज़ेरियन प्रसव दर

3390. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में सिज़ेरियन (सी-सेक्शन) प्रसवों की लगातार बढ़ती दरों का संज्ञान लिया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मानक सीमा से काफी अधिक हैं;
(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में सिज़ेरियन और सामान्य प्रसवों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देशभर में सिज़ेरियन प्रसव की इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले गैर-नैदानिक कारकों, जिनमें संस्थागत कार्यप्रणालियां, वित्तीय प्रोत्साहन, चिकित्सा-विधिक (मेडिको-लीगल) विचार तथा वैकल्पिक सिज़ेरियन प्रसव को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राथमिकताएं शामिल हैं, का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) अनावश्यक सिज़ेरियन प्रसवों को हतोत्साहित करने तथा मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिणामों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन से नियामक, निगरानी संबंधी और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): निजी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में सिज़ेरियन सेक्शन प्रसव की दर और पिछले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र द्वारा सूचित किए गए सिज़ेरियन सेक्शन तथा कुल संस्थागत प्रसवों का विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी) - जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़, कर्नाटक के "सेवा प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के दृष्टिकोण से

सिजेरियन प्रसव के संदर्भ को समझना" नामक विषय पर किए गए एक अध्ययन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, देश में सी-सेक्शन प्रसव की बढ़ती दर के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं;

- डॉक्टर द्वारा नैदानिक निर्णय-लेना: नैदानिक संकेतों, जैसे कि माता की आयु, एकाधिक गर्भावस्था, भ्रूण संकट, पहले किए गए सी-सेक्शन, लंबी प्रसव पीड़ा, प्लासेंटा प्रीविया, साथ ही मातृत्व संबंधी जटिलताओं में सिजेरियन प्रसव की अधिक संभावना होती है।
- रोगी/समुदाय की प्राथमिकताएँ: इस मामले में निर्णय लेने में इनकी भी भूमिका होती है।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनावश्यक सिजेरियन प्रसव को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय/पहल की गई हैं। मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं:

- सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों को सिजेरियन सेक्शन द्वारा होने वाले प्रसव और सामान्य प्रसव के अनुपात से संबंधित जानकारी प्रमुख रूप से बताए जाने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों के प्रसूति ओटी के लिए मूल्यांकन चेकलिस्ट में एक समर्थित सी-सेक्शन ऑडिट घटक को शामिल किया गया है।
- कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों, के लिए दक्ष, दक्षता, कुशल प्रसव सहायक (एसबीए) और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी (एनपीएम) सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं ताकि सामान्य प्रसवों को बढ़ावा दिया जा सके।

मातृ और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने एनएचएम के तहत निम्नलिखित पहलें की हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद अंतरण योजना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और बीमार शिशु जन स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव के साथ-साथ निःशुल्क परिवहन, निदान, औषधियों, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुओं और आहार के पात्र हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख के निश्चित दिन विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत निगरानी के लिए विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए) कार्यनीति शुरू की गई।

- लक्ष्य योजना प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य जन स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और सेवा प्रदायगी से इंकार के प्रति शून्य-सहिष्णुता के साथ सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।
- प्रसवोत्तर परिचर्या अनुकूलन का उद्देश्य माताओं में गर्भावस्था के दौरान जोखिम के लक्षणों की पहचान पर ध्यान देकर और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशाकर्मी) को उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को बेहतर करना है।
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस आंगनवाड़ी केंद्रों में आउटरीच कार्यकलाप है, जिसका उद्देश्य एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के समन्वय से पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या का प्रावधान करना है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में, जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक लामबंदी करने के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में प्रसव के दौरान व्यापक गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए बीईएमओएनसी, सीईएमओएनसी और एलएसएएस के साथ-साथ कुशल प्रसव परिचर्या (एसबीए) दक्ष और दक्षता में कर्मचारियों का क्षमता निर्माण।
- दुर्गम भू-भाग, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू) को कार्यात्मक बनाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन परिचर्या इकाइयों (ऑब्स्टेट्रिक एचडीयू और आईसीयू) के परिचालन, प्रसव प्रतीक्षा गृहों (बीडब्ल्यूएच) की स्थापना सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

अनुलग्नक

दिनांक 07.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3390 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार महाराष्ट्र में संस्थागत प्रसव और सी-सेक्शन (सिजेरियन प्रसव) का विवरण			
क्र.सं.	**संकेतक**	**एनएफएचएस-5 (2019-21)**	**एनएफएचएस-6 (2023-24)**
1	संस्थागत प्रसव (%)	94.7	96.4
2	सिजेरियन सेक्शन द्वारा किए गए प्रसव (%)	25.4	33.6
3	निजी स्वास्थ्य सुविधा में सिजेरियन सेक्शन द्वारा किए गए प्रसव (%)	39.1	48.5
